माननीय न्यायमूर्ति जी..एस. सिंघवी, एम.एम. कुमार और किरण आनंद लाल के समक्ष

परषोत्तम दास और अन्य-अपीलकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य-प्रतिवादी

एल.पी.ए. का नंबर 1246, सन् 1991

10 अप्रैल, 2003

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-एस 100-ए (सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1999 और सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित) - प्रथम अपील की शक्तियों का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ अपील कोर्ट-सी.पी.सी. के प्रावधानों में संशोधन मामलों के शीघ्र निपटान के लिए-संशोधित अधिनियमों को 1.1.2020 से लागू करना। 1 जुलाई, 2002-एस. धारा 10 द्वारा प्रतिस्थापित 100-ए यह प्रावधान करता है कि मूल, अपीलीय डिक्री या आदेश से उत्पन्न एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और डिक्री के खिलाफ कोई और अपील नहीं की जा सकती है - ऐसी अपीलों को धारा 32(2)(जी) में बनाए रखने योग्य नहीं माना जाता है। 1999 अधिनियम संशोधित अधिनियमों के लागू होने से पहले ही स्वीकार की गई और निर्णय के लिए लंबित अपीलों की रक्षा करता है - क्या संशोधित अधिनियमों के प्रारंभ होने से पहले लंबित अपीलें सुनवाई योग्य हैं - आयोजित, हाँ - अपील का अधिकार - एक वास्तविक और निहित अधिकार - एक स्पष्ट प्रावधान के अभाव में इस तरह के अधिकार को पूर्वव्यापी प्रभाव से नहीं छीना जा सकता है - संशोधित अधिनियमों के लागू होने से पहले दायर की गई अपीलों को बनाए रखने योग्य माना जाता है।

निर्णय लिया गया कि 1 जुलाई, 2002 के बाद किसी मूल या अपीलीय डिक्री या आदेश से उत्पन्न विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और डिक्री के खिलाफ लेटर्स पेटेंट बेंच में कोई अपील नहीं की जाएगी।

(पैरा 21)

इसके अलावा, अभिनिर्धारित किया गया है कि मूल और निहित अधिकारों को प्रभावित करने वाले किसी क़ानून के पूर्वव्यापी संचालन के खिलाफ एक मजबूत धारणा है जब तक कि यह स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किया जाता है या आवश्यक इरादे से अनुमान नहीं लगाया जाता है। ऐसा दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है क्योंकि कानून इस व्याख्या की ओर इच्छुक नहीं है कि पूर्वव्यापी संचालन द्वारा कोई कानून मूल और निहित अधिकारों को छीन सकता है।

(पैरा 26)

इसके अलावा, यह अनहिनिर्धारित किया गया कि अपील का अधिकार एक मूल अधिकार है और पूर्वव्यापीता की धारणा को बढ़ाने के खिलाफ निषेध है कि किसी कानून के पूर्वव्यापी प्रभाव से मूल अधिकारों को छीनने का इरादा है। धारा 32 की उप-धारा (2) के खंड (जी) ने उन पेटेंट अपीलों की रक्षा की जो पहले ही स्वीकार कर ली गई थीं और निर्णय के लिए लंबित थीं। ऐसे पत्र पेटेंट अपीलों का निर्णय इस प्रकार किया जाना था जैसे कि 1999 अधिनियम की धारा 100ए अधिनियमित नहीं की गई थी। दूसरे शब्दों में, 1999 में विधायिका ने अपने विवेक से दोनों प्रकार के लंबित पत्र पेटेंट अपीलों को बचाने को प्राथमिकता दी, जिन्हें 1999 अधिनियम के लागू होने से पहले इस धारणा पर स्वीकार किया गया था कि धारा 100 ए को प्रतिस्थापित करने वाली 1999 अधिनियम की धारा 100 ए कभी भी लागू नहीं हुई थी।

(पैरा 27)

इसके अलावा, निर्णय लिया गया कि लेटर पेटेंट अपीलें जो 1 जुलाई, 2002 से पहले ही दायर की जा चुकी हैं, एकमात्र अपील हैं जिन्हें संरक्षित करने का इरादा है। 1 जुलाई, 2002 को या उसके बाद दायर की जाने वाली पत्र पेटेंट अपीलें सुनवाई योग्य नहीं होंगी क्योंकि 2002 अधिनियम की धारा 100 ए द्वारा बनाई गई रोक चालू हो जाएगी। दूसरे शब्दों में, 2002 अधिनियम की धारा 100ए उस अपीलकर्ता में निहित अपील के अर्जित अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी, जिसने वास्तव में 1 जुलाई, 2002 से पहले अपील दायर की है, लेकिन जिन लोगों ने 1 जुलाई, 2002 को या उसके बाद अभी तक अपील दायर नहीं की है, वे ऐसा नहीं करेंगे। उसे बनाए रखने का हकदार होगा।

(पैरा 32)

अपीलकर्ताओं के वरिष्ठ वकील अशोक अग्रवाल।
प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के लिए, वरिष्ठ उप महाधिवक्ता, हरियाणा, जसवन्त सिंह
एम.एल. सरीन, वरिष्ठ वकील सुश्री स्वीना पन्नू, प्रतिवादी संख्या 3 से 6 के लिए वकील
आर.एस. मित्तल, वरिष्ठ वकील और , सुधीर मित्तलहस्तक्षेपकर्ताओं के वकील ।
डी.एस. बाली, वरिष्ठ अधिवक्ता डी.वी. गुप्ता, हस्तक्षेपकर्ताओं के वकील।
योगेश कुमार शर्मा, हस्तक्षेपकर्ताओं के वकील

एम.एम. कुमार, न्यायमूर्ति

(1) जब भी मूल कानून या प्रक्रियात्मक कानून में सुधार किए जाते हैं, तो इसकी शुरूआत का विरोध होता है और ऐसे सुधारों को कम से कम एक मुकदमेबाज के लिए उपयुक्त सुविधाजनक सीमा तक सीमित रखने का प्रयास किया जाता है। जस्टिस वी.एस. की रिपोर्ट में सिविल प्रक्रिया संहिता में कई सुधारों की सिफारिश की गई है। नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 (संक्षिप्तता के लिए, संहिता') के विभिन्न प्रावधानों में संशोधन द्वारा मलिमथ को

ठोस और कार्यान्वित करने की मांग की गई है। अब संसद द्वारा दो अधिनियम अधिनियमित किए गए हैं जिन्हें सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1999 (संक्षिप्तता के लिए, '1999 अधिनियम) और सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2002 (संक्षिप्तता के लिए, 'संक्षिप्तता, 2002) के रूप में जाना जाता है। कार्य')। दोनों अधिनियम 01.01.2019 से लागू किये गये हैं। 1 जुलाई, 2002. इन सुधारों का मूल उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ इंट्रा कोर्ट अपील के अधिकार में कटौती करके मामलों का शीघ्र निपटान करना प्रतीत होता है। यह इस संदर्भ में है कि 1991 की त्वरित लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 1246 की सुनवाई के दौरान लेटर्स पेटेंट बेंच के समक्ष दो महत्वपूर्ण प्रश्न उठे हैं। उत्तरदाताओं की ओर से एक आपत्ति उठाई गई थी कि लेटर्स पेटेंट अपील सुनवाई योग्य नहीं थी। 2002 अधिनियम द्वारा संशोधित और लागू धारा 100ए के मद्देनजर। प्रारंभिक आपत्ति के आधार पर, लेटर्स पेटेंट बेंच ने व्यापक प्रभाव वाले दो महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार किए जो 2002 अधिनियम की धारा 100 ए के संशोधन और अधिनियमन के कारण उत्पन्न हुए हैं। चूंकि उपर्युक्त दो प्रश्न बड़ी संख्या में मामलों में उठने की संभावना है और इस प्रकार महत्वपूर्ण सार्वजनिक महत्व के थे, लेटर्स पेटेंट बेंच ने आधिकारिक समाधान के लिए उन प्रश्नों को पूर्ण बेंच को संदर्भित करने की आवश्यकता महसूस की। पूर्ण पीठ को भेजे गए प्रश्न इस प्रकार हैं-

"(1) क्या लेटर्स पेटेंट अपील मूल या अपीलीय डिक्री या आदेश से उत्पन्न अपील में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और डिक्री के खिलाफ होगी?

a. *क्या 1 जुलाई, 2002 से पहले दायर की गई लेटर्स पेटेंट अपीलें सी.पी.सी. की संशोधित धारा 100-ए के अनुसार निपटाई और तय की जाने योग्य हैं?"*

तथ्य:

(2) विवाद को उसके उचित परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए आवश्यक मामले के संक्षिप्त तथ्यों पर पहले ध्यान दिया जाना चाहिए। 17 अक्टूबर, 19 को हरियाणा राज्य-प्रतिवादी नंबर 1 ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (संक्षिप्तता के लिए, 'अधिनियम) की धारा 4 के तहत एक अधिसूचना जारी की, जिसमें भूमि के निर्दिष्ट क्षेत्र का अधिग्रहण करने का इरादा व्यक्त किया गया। अधिनियम की धारा 5ए के तहत आपत्तियों की सुनवाई की प्रक्रिया का पालन करने के बाद, अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचना 3 अगस्त, 197 को जारी की गई थी। 2 जून, 1982 को कलेक्टर द्वारा भूमि के विभिन्न पार्सल की दरें तय करते हुए पुरस्कार की घोषणा की गई थी। कलेक्टर के आदेश के खिलाफ, ए की धारा 18 और 30 के तहत याचिकाएं दायर की गईं और मुआवजे में वृद्धि और बंटवारे की प्रार्थना की गई। तत्काल पत्र पेटेंट अपील में अपीलकर्ताओं ने 1983 के भूमि अधिग्रहण मामले संख्या 152/4 में दावा किया कि वे प्रतिवादी संख्या 3 से 6 को दिए गए मुआवजे के बंटवारे के हकदार थे, इस आधार पर कि वे उन उत्तरदाताओं के तहत किरायेदार थे। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, करनाल ने मुआवजे की राशि बढ़ा दी और माना कि परषोतम दास खसरा संख्या 9094 में किरायेदार के रूप में रुपये की दर से भूमि पर कब्जा कर रहे थे। किराया 100 रुपये था, जिस पर उन्होंने खेती जारी रखी। आगे यह माना गया कि सभी अपीलकर्ताओं के पिता हरि

राम 1954 से खसरा नंबर 9095 पर खेती कर रहे थे और वर्ष 1971 में उनकी मृत्यु हो गई। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, प्रतिवादी संख्या 12 मार्च, 1986 द्वारा पारित आदेश से व्यथित महसूस करते हुए 3 से 6 ने 1986 की नियमित प्रथम अपील संख्या 1399 दायर की। उपरोक्त अपील को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा अपीलकर्ताओं के पक्ष में दर्ज किए गए निष्कर्षों को उलटने की अनुमति दी गई थी, यह मानते हुए कि अपीलकर्ता खसरा में शामिल भूमि पर अपनी किरायेदारी साबित करने में विफल रहे हैं। क्रमांक 9094 और 9095। इसलिए, उन्हें अधिग्रहीत भूमि के लिए निर्धारित मुआवजे के बंटवारे का हकदार नहीं माना गया। अपीलकर्ता जो खुद को प्रतिवादी संख्या 3 से 6 के तहत किरायेदार होने का दावा करते हैं, ने विद्वान एकल न्यायाधीश के 6 जून, 1991 के फैसले को चुनौती देते हुए तत्काल अपील को प्राथमिकता दी है। प्रतिवादी संख्या 3 से 6 की ओर से आपत्ति उठाई गई है कि 2002 अधिनियम की धारा 100 ए के आधार पर, पत्र पेटेंट अपील सुनवाई योग्य नहीं है।

अपील के तर्क विचारणीय:

(3) हमने किरायेदार-अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील श्री अशोक अग्रवाल को सुना है। श्री आर.एस. मित्तल जो हस्तक्षेपकर्ताओं के लिए उपस्थित हुए हैं और इस प्रस्ताव का समर्थन किया कि लेटर पैटर अपील कायम रखने योग्य थी और प्रतिवादी नंबर 1 और 2 के लिए हरियाणा के विद्वान सेनिक उप महाधिवक्ता श्री जसवंत सिंह ने भी श्री एम.एल. को सुना है। सरीन, प्रतिवादी संख्या 3 से 6 के विद्वान वकील, जो दावेदार-मालिक हैं और श्री डी.एस. बाली, हस्तक्षेपकर्ताओं के विद्वान वकील हैं, जिन्होंने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है कि कोई भी पत्र पेटेंट अपील सक्षम नहीं है।

(4) किरायेदार-अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील श्री अशोक अग्रवाल ने 1999 अधिनियम की धारा 10 और 2002 अधिनियम की धारा 4 द्वारा संशोधित धारा 100ए का संदर्भ दिया है। उन्होंने 1999 अधिनियम की धारा 32 (जी) और (एच) और 2002 अधिनियम की धारा 16 का भी उल्लेख किया है। उपरोक्त प्रावधानों के आधार पर, विद्वान वकील ने निम्नलिखित तर्क उठाए हैं –

(ए) कि 1999 अधिनियम और 2002 अधिनियम द्वारा धारा 100ए में किए गए संशोधन प्रकृति में पूर्वव्यापी नहीं हैं जैसा कि इस अनुभाग की सरल भाषा से स्पष्ट है। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार अपील दायर करने का अधिकार अपीलकर्ताओं को 1991 में प्राप्त हुआ था जिसका लाभ भी उठाया जा चुका है। इसलिए, अपीलकर्ताओं में एक अधिकार निहित हो गया है। उन्होंने आगे कहा कि 1999 अधिनियम और 2002 अधिनियम द्वारा किए गए संशोधनों द्वारा एक निहित अधिकार को तब तक छीना हुआ नहीं माना जा सकता जब तक कि विधायिका ने स्वयं इसके लिए प्रावधान नहीं किया हो।

(बी) 1999 अधिनियम और 2002 अधिनियम की धारा 100ए एक गैर-विषयक खंड का उपयोग करती है। विद्वान वकील के अनुसार एक गैर-अस्थिर खंड का प्रभाव यह होगा कि अब से, यानी 1 जुलाई, 2002 से, आगे अपील का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा, जिसका अर्थ यह होगा कि पहले से दायर और लंबित अपीलें बच जाएंगी। अपने प्रस्तुतीकरण के समर्थन में, विद्वान वकील ने एल.आर. द्वारा आर. राजगोपाल रेड्डी (मृत) और अन्य बनाम पद्मिनी चन्द्रशेखरन (मृत) एल.आर.एस. (एआईआर 1996 एस.सी. 238) मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पैरा 12 पर भरोसा जताया है। उन्होंने तर्क दिया कि 1999 अधिनियम की संशोधित धारा 100ए और 2002 अधिनियम में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "झूठ नहीं बोलूंगा" का अर्थ समान होना चाहिए, जैसा कि उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्राप्त हुआ क्योंकि बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (संक्षिप्तता के लिए, 1988 अधिनियम) में प्रयुक्त इस अभिव्यक्ति का उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अर्थ लगाया गया है कि यह केवल उन लेनदेन को प्रभावित करेगा जो प्रवर्तन के बाद हुए हैं 1988 का अधिनियम.

(सी) अपील का अधिकार एक मूल अधिकार है, हालांकि अपील या उसके मंच को दाखिल करने का तरीका या तरीका प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है। विद्वान वकील के अनुसार, किसी मूल अधिकार को पूर्वव्यापी रूप से तब तक नहीं छीना जा सकता जब तक कि इसे किसी क़ानून द्वारा स्पष्ट रूप से रद्द न कर दिया जाए। इस प्रस्ताव के लिए, विद्वान वकील ने **गरिकपति वीरया बनाम एन. सुब्बैया चौधरी और अन्य** (एआईआर 1957 एस.सी. 540) के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया है।

(5) इन प्रस्तुतियों के आधार पर, विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि पहले प्रश्न का उत्तर नकारात्मक और दूसरे प्रश्न का सकारात्मक उत्तर होना चाहिए।

(6) श्री आर.एस. हस्तक्षेपकर्ता के विद्वान वकील मित्तल ने तर्क दिया है कि धारा 100ए को वर्ष 1976 में शामिल किया गया था, जिसमें केवल मूल या अपीलीय डिक्री के खिलाफ अपील के मनोरंजन का प्रावधान शामिल था, न कि उन डिक्री के खिलाफ जिनके लिए दूसरी अपील प्रदान की गई थी। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया है कि 1999 अधिनियम की धारा 10 ने "प्रतिस्थापित किया जाएगा" अभिव्यक्ति का उपयोग करके पुरानी धारा 100 ए को प्रतिस्थापित किया है, फिर भी 1999 अधिनियम की धारा 32 निरसन और बचत से संबंधित है, जो धारा 10 द्वारा बनाए गए नियम के लिए अपवाद प्रदान करती है। धारा 32(2) के खंड (जी) के प्रावधान, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि धारा 100 ए में किया गया संशोधन एक विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले या अनुच्छेद 226 या 227 के तहत जारी उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर अपील को बचाता है। संविधान का जो 1 जुलाई 2002 से पहले स्वीकार किया गया है। दूसरे शब्दों में, संविधान के अनुच्छेद 226 या 227 के तहत इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ जो अपीलें पहले ही स्वीकार की जा चुकी हैं, उन्हें संविधान के अनुसार निपटाया जाना आवश्यक

है। पुराने प्रावधान. उन्होंने आगे 2002 अधिनियम की धारा 16(2) का संदर्भ दिया है, जिसमें ऐसी कोई बचत नहीं की गई है और प्रस्तुत किया है कि सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 (बी) (सी) और (ई) (संक्षिप्तता के लिए, 1897) अधिनियम') 2002 अधिनियम की धारा 16(2) द्वारा प्रदान किए गए संशोधन के प्रभाव से सभी लंबित अपीलों को बचाएगा।

(7) श्री मित्तल ने आगे तर्क दिया है कि अपील के अधिकार पर इस सिद्धांत के आलोक में विचार किया जाना चाहिए कि अपील मुकदमे की निरंतरता है। इसलिए, वह चरम तर्क पर चले गए कि यदि अपील का अधिकार मुकदमा दायर करने की तारीख पर एक सूटर को उपलब्ध था, तो इसे उपलब्ध रहना चाहिए क्योंकि जिस समय उसने मुकदमा दायर किया था, उस समय उसके पास मौजूदा अधिकार था अपील दायर करें. विद्वान वकील के अनुसार ऐसे निहित अधिकार को छीना नहीं जा सकता। अपने तर्क को पुष्ट करने के लिए, विद्वान वकील ने **जोस डेकोस्टा बनाम बास्कोरा**, (एआईआर 1975 एस.सी. 1843**) जयंतीलाल अमृतलाल बनाम द यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य** (एआईआर 1971 एस.सी. 1193), **पंजाब राज्य बनाम मोहर सिंह प्रताप सिंह**, (एआईआर 1955 एस.सी. 84) **सुरेश कोशी जॉर्ज बनाम केरल विश्वविद्यालय और अन्य** (एआईआर 1969 एस.सी. 201) पर भरोसा जताया है। **डी. श्रीनिवासन बनाम आयुक्त और अन्य** ((2000)3 एस.सी.सी. 548)। **अंबालाल साराभाई एंटरप्राइजेज लिमिटेड बनाम अमृत लाल एंड कंपनी और अन्य**, ((2001)8 एस.सी.सी. 397)। उन्होंने **करतार सिंह बनाम हरिपाल सिंह** (एआईआर 1960 पंजाब 29) के मामलों में विभिन्न उच्च न्यायालयों के निर्णयों पर भी भरोसा जताया है। **ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड हलद्वानी बनाम धनरान सिंह एवं अन्य** (एआईआर 1990 इलाहाबाद 104)। **शेष कुमार प्रधान शेषदेव बनाम केशबो पुत्र नारायण अघरिया और अन्य**, (एआईआर 1980 मध्य प्रदेश 166) और **नंद किशोर मोहना बनाम महाबीर प्रसाद लाठ**, (एआईआर 1978 उड़ीसा 129) श्री मित्तल ने तब 1897 अधिनियम की धारा 6 के प्रावधानों को निरसन और बचत से संबंधित धारा 32 के रूप में संदर्भित किया है 1999 अधिनियम के खंड और 2002 अधिनियम की धारा 16 को संशोधन से पहले अर्जित किसी भी अधिकार को बचाने के लिए 1987 अधिनियम के प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अधिनियमित किया गया है।

तर्क-अपील सुनवाई योग्य नहीं:

(8) श्री एम.एल. दावेदार-उत्तरदाताओं के विद्वान वकील सरीन ने एक और चरम तर्क उठाया है। उन्होंने तर्क दिया है कि 1999 अधिनियम और 2002 अधिनियम द्वारा संहिता की धारा 100 ए में संशोधन किए जाने के बाद कोई अपील जारी नहीं रखी जा सकती है और न ही बरकरार रखी जा सकती है। विद्वान वकील के अनुसार, पारित किए गए और फिर छोड़े गए संशोधन, निरसन और बचत खंड के साथ-साथ अन्य कारकों के अवलोकन पर, विधायिका का आवश्यक इरादा बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि केवल उन

लंबित अपीलों का इरादा था बचाया जा सकता है जो संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए फैसले से उत्पन्न हुआ है। जिस आशय के आधार पर यह तर्क श्री सरीन द्वारा बनाया गया है, उसे मानने का तर्क यह है कि 1999 के अधिनियम ने एक नया खंड प्रदान करके धारा 100 ए को प्रतिस्थापित कर दिया था। उन्होंने हमारा ध्यान 1999 अधिनियम की धारा 10 की ओर आकर्षित किया है। इसके बाद उन्होंने धारा 32 (2)(जी) का हवाला दिया, जो निरसन और बचत खंड से संबंधित है, यह तर्क देने के लिए कि 1999 अधिनियम ने उन अपीलों को बचाया, जो संविधान के अनुच्छेद 226 या अनुच्छेद 227 के तहत तय किए गए विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ निर्देशित थे। और जिसे धारा 10, अर्थात् प्रतिस्थापित धारा 100ए, के प्रवर्तन से पहले स्वीकार किया गया था। उन्होंने 2002 अधिनियम की धारा 4 का भी उल्लेख किया है, जिसमें आगे धारा 100ए को प्रतिस्थापित किया गया है।

(9) विद्वान वकील ने हमारा ध्यान 2002 के निरसन और बचत अधिनियम की धारा 16(2) की ओर भी आकर्षित किया है और तर्क दिया है कि केवल उन अपीलों को बचाया जाना है, जिनका निर्णय अनुच्छेद के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा किया जाता है। 226/227. दूसरे शब्दों में, मोटर वाहन दुर्घटना दावों से उत्पन्न होने वाले मामलों या अपील जैसे मामलों में अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिया गया निर्णय, कोई भी पत्र पेटेंट सक्षम नहीं होगा क्योंकि उन्हें बचाया जाना है। झुके हुए वकील ने गरिकपति वीरया के मामले (सुप्रा) के मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले पर भरोसा किया है और हमारा ध्यान संविधान पीठ द्वारा निर्धारित 5वें सिद्धांत की ओर आकर्षित किया है जिसमें कहा गया है कि अपील के निहित अधिकार को छीना जा सकता है। केवल बाद के अधिनियमन द्वारा, यदि यह स्पष्ट रूप से या आवश्यक इरादे से प्रदान करता है और अन्यथा नहीं। या आवश्यक इरादे से ए

(10) विद्वान वकील के अनुसार, जिस तरह से संसद ने पहली बार 1999 अधिनियम को प्रख्यापित करके धारा 10 को अधिनियमित किया है, जिसमें उन मामलों में भी अपील दायर करने पर रोक लगाने का स्पष्ट प्रावधान किया गया था, जहां मूल क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा निर्णय पारित किया गया था। अनुच्छेद 226 या 227 के तहत संविधान का और फिर a के विरुद्ध दायर अपीलों को बचाना विद्वान एकल न्यायाधीश का निर्णय अनुच्छेद 226 के तहत पारित किया गया संविधान का 227, जो धारा 10 के प्रारंभ से पहले स्वीकार किया गया था, यह दर्शाता है कि केवल उन स्वीकृत अपीलों को बचाया और सुना जा सकता है, जिन्हें धारा 10 के प्रारंभ से पहले स्वीकार किया गया है। दूसरे शब्दों में, अपील के अभ्यास से उत्पन्न होने वाली अपील विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा क्षेत्राधिकार को बचाया नहीं जा सकेगा और इसलिए, वर्तमान अपील सक्षम नहीं होगी।

(11) विद्वान वकील ने यह भी तर्क दिया है कि अपीलकर्ता के लिए विद्वान वकील द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव के साथ शायद ही कोई झगड़ा हो सकता है कि अपील का अधिकार एक वास्तविक अधिकार है जैसा कि जोस डेकोस्टा (सुप्रा) के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना है, और **राजेंद्र कुमार बनाम कल्याण** के मामले में, ((2000)8 एस.सी.सी. 99)। विद्वान वकील के अनुसार, ये दोनों निर्णय स्पष्ट रूप से स्थापित करेंगे कि मूल कानून के विपरीत प्रक्रियात्मक कानून किसी स्पष्ट प्रावधान या आवश्यक इरादे के अभाव में भी पूर्वव्यापी रूप से संचालित हो सकता है, लेकिन मूल कानून केवल तभी पूर्वव्यापी रूप से संचालित हो सकता है, जब कोई स्पष्ट प्रावधान या आवश्यक इरादा प्रतिबिंबित हो। विधान द्वारा.

(12) उन्होंने तब तर्क दिया कि एक बात बिल्कुल किसी भी विवाद से परे है कि 1 जुलाई 2002 के बाद कोई भी अपील सक्षम नहीं होगी, चाहे वह 1 जुलाई 2002 से पहले दायर की गई हो या कोर्ट फीस के तहत कमी को पूरा करने के लिए आवेदन के साथ पहले दायर की गई हो। परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के तहत अधिनियम या देरी की माफी की मांग करना। विद्वान वकील के अनुसार, ऐसी कोई अपील नहीं बचाई गई है। विद्वान वकील ने यह भी तर्क दिया कि विधायिका की आवश्यक मंशा धारा 4, 5, 15 (बी) और 16 के अवलोकन से भी स्पष्ट है, जिसने केवल निर्दिष्ट नियमित द्वितीय अपील को बचाया है और धारा 16 (2) द्वारा कोई पत्र पेटेंट अपील को बचाया नहीं गया है।)(2)(बी). अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने 2002 अधिनियम की धारा 5 के प्रावधानों का भी उल्लेख किया है, जिसमें संहिता की धारा 102 को प्रतिस्थापित किया गया है। इसलिए, विद्वान वकील के अनुसार, आवश्यक इरादे से जुलाई, 2002 से पहले दायर की गई अपील को जारी रखने का अधिकार भी छीन लिया गया है।

(13) हस्तक्षेपकर्ताओं के विद्वान वकील श्री योगेश कुमार शर्मा ने श्री सरीन के तर्क का समर्थन किया है। विद्वान वकील ने **चन्नन सिंह और अन्य बनाम श्रीमती जय कौर** (एआईआर 1970 एस.सी. 349), के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा जताया है। जहां सुप्रीम कोर्ट ने धारा 31 की व्याख्या की है। पंजाब प्री-एम्पशन एक्ट, 1913 (1960 के संशोधन विज्ञापन 10 द्वारा संशोधित) इतना व्यापक है कि संशोधन अधिनियम के मूल प्रावधान को प्रभावी करने के लिए एक अपील की आवश्यकता होती है, जबकि इससे पहले की अपील पूर्व-अनुदान देने वाले डिक्री के खिलाफ थी। उन्हें या कोई उस राहत से इनकार कर रहा है। इस संबंध में, उन्होंने **राम एस बनाम मुंशी** (एआईआर 1963 एस.सी. 553) के मामले में फैसले के पैराग्राफ 47 का भी संदर्भ दिया है, और तर्क दिया है कि जब किसी कार्रवाई के लंबित रहने के दौरान मूल कानून बदल जाता है, तो पीए के अधिकारों का निर्णय उसी के अनुसार किया जाता है। कानून के अनुसार यह तब अस्तित्व में था जब कार्रवाई बी जब तक कि संशोधित क़ानून अधिकारों को अलग करने का स्पष्ट इरादा नहीं दिखाता।

कानूनी शर्तें :

(14) हमारे द्वारा संदर्भित दो महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अपना निष्कर्ष दर्ज करने से पहले, कानून और न्यायमूर्ति वी.एस. की रिपोर्ट पर ध्यान देना उचित होगा। उनके कारणों और उद्देश्यों के साथ मलिमाथ। 1997 के विधेयक संख्या एल से जुड़े उद्देश्यों और कारणों के विवरण से पता चलता है कि विधेयक को न्यायमूर्ति मलिमथ समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए पेश किया गया था, जिसका उद्देश्य सीआई मुकदमों और कार्यवाही के निपटान में तेजी लाने के प्रयास करना था। अन्य सिफ़ारिशों के अलावा यह बदलाव करने का प्रस्ताव किया गया था कि कोई भी इंट्रा कोर्ट अपील दोबारा नहीं होगी, एकल न्यायाधीश का निर्णय मान्य नहीं होगा जिसमें संविधान के अनुच्छेद 226 या 227 के तहत दायर याचिका पर पारित आदेश शामिल था, जैसा कि प्रकाशित खंड 10 पर नोट भारत के राजपत्र के सामान्य भाग II में इस प्रकार लिखा है:-

> "खंड 10.-न्यायमूर्ति मलिमथ समिति ने प्रथम अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले सिंग जज के फैसले के खिलाफ आगे की अपील के मुद्दे की जांच की। समिति ने इस संबंध में बर्थर अपील प्रदान करने की दृष्टि से संहिता की धारा 100ए में उपयुक्त संशोधन की सिफारिश की। झूठ नहीं बोलें। समिति ने संविधान के अनुच्छेद 226 या 227 के तहत कार्यवाही में उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णय और आदेश के खिलाफ डिवीजन बेंच में अपील को समाप्त करने के लिए संसद द्वारा उपयुक्त अधिनियम बनाने की भी सिफारिश की। खंड 10 स्थानापन्न करना चाहता है उपरोक्त मामलों में आगे कोई अपील न करने की दृष्टि से एक नई धारा 100ए।"

(15) विधेयक, 1999 के आधार पर 30 दिसंबर, 1999 को अधिनियम पारित किया गया था। धारा 10 में धारा 100ए, धारा 32(1), (2)(जी)(एच) और (वी) को प्रतिस्थापित किया गया जो निर्णय लेने के लिए प्रासंगिक हैं। मौजूदा मामले में विवाद इस प्रकार है

"10. धारा 100ए के लिए नई धारा का प्रतिस्थापन - मूल अधिनियम की धारा 100ए के लिए, निम्नलिखित धारा को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्

"100ए। कुछ मामलों में आगे कोई अपील नहीं:

किसी भी उच्च न्यायालय के लिए किसी लेटर्स पेटेंट में या कानून के बल वाले किसी अन्य उपकरण में या उस समय लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी शामिल होने के बावजूद,

(ए) जहां मूल या अपीलीय डिक्री या आदेश से किसी अपील पर सुनवाई और निर्णय लिया जाता है,

(बी) जहां उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा संविधान के अनुच्छेद 226 या 227 के तहत किसी आवेदन पर कोई रिट, निर्देश या आदेश जारी किया जाता है या किया जाता है, ऐसे एकल न्यायाधीश के निर्णय, निर्णय या आदेश के खिलाफ कोई और अपील नहीं की जाएगी। ।"

"32. निरसन और बचत.-(1) इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले राज्य विधानमंडल या उच्च न्यायालय द्वारा मूल अधिनियम में किया गया कोई भी संशोधन, या डाला गया कोई प्रावधान, सिवाय इसके कि ऐसा संशोधन या प्रावधान प्रावधानों के अनुरूप है इस अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम को निरस्त कर दिया गया है।

(2) इस बात के बावजूद कि इस अधिनियम के प्रावधान लागू हो गए हैं या उप-धारा (1) के तहत निरसन प्रभावी हो गया है, और सामान्य खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 6 के प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना),

(ए) से (1) xx XX XX XX

(जी) इस अधिनियम की धारा 10 द्वारा प्रतिस्थापित मूल अधिनियम की धारा 100ए के प्रावधान, एकल के निर्णय के खिलाफ किसी भी अपील पर लागू नहीं होंगे या प्रभावित नहीं होंगे संविधान के अनुच्छेद 226 या अनुच्छेद 227 के तहत न्यायाधीश या उच्च न्यायालय, जिसे धारा 10 के प्रारंभ होने से पहले स्वीकार किया गया था: और ऐसी प्रत्येक स्वीकृत अपील को इस तरह निपटा दिया जाएगा जैसे कि धारा 10 लागू नहीं हुई थी:

(ज) इस अधिनियम की धारा 11 द्वारा प्रतिस्थापित मूल अधिनियम की धारा 102 के प्रावधान, किसी भी अपील पर लागू या प्रभावित नहीं होंगे जो धारा 11 के प्रारंभ होने से पहले स्वीकार की गई थी: और ऐसी प्रत्येक अपील का निपटारा किया जाएगा यदि धारा 11 लागू नहीं हुई होती:

(i) से (u) xx XX XX XX

(v) पहली अनुसूची के आदेश XLI के नियम 1.9,11,12,13,15,18,19 और 22 के प्रावधान, जैसा भी मामला हो, विधेयक के खंड 32 द्वारा संशोधित, प्रतिस्थापित और हटाए गए होंगे। धारा 32 के प्रारंभ होने से पहले दायर की गई किसी भी अपील को प्रभावित नहीं करेगा; और धारा 32 के प्रारंभ होने से पहले लंबित प्रत्येक अपील का निपटारा ऐसे किया जाएगा जैसे कि इस विधेयक की धारा 32 लागू ही नहीं हुई हो।" (जोर जोड़ा गया)

(16) यह उल्लेख करना उचित है कि 1999 का उपरोक्त अधिनियम 1.4.1 से लागू किया गया था। 1 जुलाई, 2002 को अधिसूचना दिनांक 6 जून, 2002 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित करके।

(17) 2002 का अधिनियम भी 1 जुलाई. 2002 से लागू किया गया था, भारत के राजपत्र में दिनांक 6 जून, 2002 की अधिसूचना प्रकाशित करके। 1999 अधिनियम की धारा 100ए, 1999 अधिनियम की धारा 15(ए)(बी)(i) और धारा 16 में जहां तक प्रासंगिक हो, और बदलाव दिखाने वाली धारा 4 को यहां पुन: प्रस्तुत किया गया है:-

"4. धारा 100ए के लिए नई धारा का प्रतिस्थापन - मूल अधिनियम की धारा 100-ए के लिए (सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1999 (1999 का 46) की धारा 10 द्वारा प्रतिस्थापित), निम्नलिखित धारा को प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्:-

"100ए. कुछ मामलों में कोई और अपील नहीं - किसी भी उच्च न्यायालय के लिए किसी भी पत्र पेटेंट में या कानून के बल वाले किसी भी उपकरण में निहित किसी भी चीज़ के बावजूद फिलहाल लागू कोई भी अन्य कानून, जहां कोई भी अपील! किसी मूल या अपीलीय डिक्री या आदेश की सुनवाई और निर्णय उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा किया जाता है, ऐसे एकल न्यायाधीश के निर्णय और डिक्री के खिलाफ कोई और अपील नहीं की जाएगी।"

"15. सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1999 का संशोधन.--सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम 1999 (1999 का 46) में,-

(ए) धारा 30 हटा दी जाएगी;

(बी) धारा 32 में उपधारा (2) में.—

(i) खंड (जी) और (एच) हटा दिए जाएंगे।

XX XX XX XX

16. निरसन और बचत.-(1) इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले राज्य विधानमंडल या उच्च न्यायालय द्वारा मूल अधिनियम में किया गया कोई भी संशोधन, या डाला गया कोई प्रावधान, सिवाय इसके कि जहां तक ऐसे संशोधन या प्रावधान सुसंगत हैं इस अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम निरस्त किया जाता है।

(2) इस बात के बावजूद कि इस अधिनियम के प्रावधान लागू हो गए हैं या उप-धारा (1) के तहत निरसन प्रभावी हो गया है, और सामान्य खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 6 के प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना),-

(ए) इस अधिनियम की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित मूल अधिनियम की धारा 102 के प्रावधान, किसी भी अपील पर लागू या प्रभावित नहीं होंगे जो धारा 5 के प्रारंभ होने से पहले स्वीकार की गई थी: और ऐसी प्रत्येक अपील का निपटारा किया जाएगा जैसे कि धारा 5 लागू नहीं हुई थी;

(बी) पहली अनुसूची के आदेश VI के नियम 5,15,17 और 18 के प्रावधानों को, जैसा भी मामला हो, हटा दिया गया है या सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1999 की धारा 16 द्वारा डाला या प्रतिस्थापित किया गया है (1999 का 46) और इस अधिनियम की धारा 7 संहिता की धारा 16 के प्रारंभ होने से पहले दायर किसी भी याचिका के संबंध में लागू नहीं होगी सिविल प्रक्रिया (संशोधन) अधिनियम, 1999 और इस अधिनियम की धारा 7"

(18) यह भी ध्यान रखना उचित होगा कि 1999 अधिनियम से पहले की धारा 100ए इस प्रकार है:

"100-ए। कुछ मामलों में कोई और अपील नहीं। किसी भी उच्च न्यायालय के लिए किसी भी पत्र पेटेंट में या कानून के बल वाले किसी अन्य उपकरण में या उस समय लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी शामिल होने के बावजूद, जहां किसी से कोई अपील हो अपीलीय डिक्री या आदेश की सुनवाई और निर्णय उच्च न्यायालय के एकल

न्यायाधीश द्वारा किया जाता है, ऐसी अपील में ऐसे एकल न्यायाधीश के निर्णय, निर्णय या आदेश या ऐसी अपील में पारित किसी डिक्री के खिलाफ कोई और अपील नहीं की जाएगी।" (महत्व जोड़ें)

(19) बहस के दौरान 1897 अधिनियम का भी बार-बार उल्लेख किया गया है और इसलिए उस अधिनियम की धारा 6, 6ए, 7 और 8 का संदर्भ देना आवश्यक होगा जो निम्नानुसार है

"6. निरसन का प्रभाव.-जहां यह अधिनियम, या कोई [केंद्रीय अधिनियम] या इस अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद बनाया गया विनियमन, अब तक बनाए गए या इसके बाद बनाए जाने वाले किसी भी अधिनियम को निरस्त करता है, तो, जब तक कि कोई अलग इरादा प्रकट न हो, निरसन होगा नहीं-

(ए) ऐसी किसी भी चीज़ को पुनर्जीवित करना जो निरसन प्रभावी होने के समय लागू नहीं थी या विद्यमान नहीं थी

(बी) इस प्रकार निरस्त किए गए किसी अधिनियम के पिछले संचालन या उसके तहत विधिवत किए गए या भुगते गए किसी भी कार्य को प्रभावित करेगा या

(सी) इस प्रकार निरस्त किए गए किसी अधिनियम के तहत अर्जित, उपार्जित या उपगत किसी भी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व या दायित्व को प्रभावित करेगा या

(डी) इस प्रकार निरस्त किए गए किसी भी अपराध के संबंध में किए गए किसी भी दंड, जब्ती या सजा को प्रभावित करेगा; या

(ई) उपरोक्त किसी भी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, दायित्व, जुर्माना, जब्ती या सजा के संबंध में किसी भी जांच, कानूनी कार्यवाही या उपाय को प्रभावित करेगा:

और ऐसी कोई भी जांच कानूनी कार्यवाही या उपाय शुरू की जा सकती है, जारी रखी जा सकती है या लागू की जा सकती है, और ऐसा कोई जुर्माना, ज़ब्ती या सज़ा लगाई जा सकती है जैसे कि निरसन अधिनियम या विनियमन पारित नहीं किया गया था।

6ए. अधिनियम या विनियमन में पाठ्य संशोधन करने वाले अधिनियम को निरस्त करना। जहां इस अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद बनाया गया कोई भी [केंद्रीय अधिनियम] या विनियमन किसी भी अधिनियम को निरस्त करता है जिसके द्वारा किसी भी [केंद्रीय अधिनियम] या विनियमन के पाठ को किसी मामले की स्पष्ट चूक, सम्मिलन या प्रतिस्थापन द्वारा संशोधित किया गया था, तब तक, जब तक कि कोई अलग इरादा न हो ऐसा प्रतीत होता है, निरसन इस प्रकार निरस्त अधिनियम द्वारा किए गए किसी भी संशोधन की निरंतरता और ऐसे निरसन के समय संचालन में कोई प्रभाव नहीं डालेगा।]

7. निरस्त अधिनियमों का पुनरुद्धार.-(1) इस अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद बनाए गए किसी भी [केंद्रीय अधिनियम] या विनियमन में, पूर्ण या आंशिक रूप से निरस्त किए गए किसी भी अधिनियम को स्पष्ट रूप से पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से यह आवश्यक होगा। वह उद्देश्य बताएं.

(2) यह धारा जनवरी, 1968 के तीसरे दिन के बाद बनाए गए सभी [केंद्रीय अधिनियमों] और जनवरी, 1887 के चौदहवें दिन या उसके बाद बनाए गए सभी विनियमों पर भी लागू होती है।

8. निरस्त अधिनियम के संदर्भों का निर्माण।-[(1) जहां यह अधिनियम, या कोई [केंद्रीय अधिनियम] या इस अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद बनाया गया विनियमन, संशोधन के साथ या बिना, पूर्व के किसी भी प्रावधान को निरस्त और पुनः अधिनियमित करता है। अधिनियमन, तो किसी भी अन्य अधिनियम में या किसी भी उपकरण में इस प्रकार निरस्त किए गए प्रावधान के संदर्भ को, जब तक कि कोई अलग इरादा प्रकट न हो, इस प्रकार पुनः अधिनियमित प्रावधान के संदर्भ के रूप में माना जाएगा।

[(2)] [जहां अगस्त, 1947 के पंद्रहवें दिन से पहले, यूनाइटेड किंगडम की संसद के किसी भी अधिनियम को निरस्त कर दिया गया और फिर से अधिनियमित किया गया], संशोधन के साथ या बिना, पूर्व अधिनियम के किसी भी प्रावधान, फिर किसी भी संदर्भ में [केंद्रीय अधिनियम] या किसी विनियम या उपकरण में प्रावधान इस प्रकार निरस्त किया जाएगा, जब तक कि कोई अलग इरादा प्रकट न हो, बी इस प्रकार पुनः अधिनियमित प्रावधानों के संदर्भ के रूप में समझा गया।]"

(20) 1999 अधिनियम और 2002 अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित धारा 100ए को संयुक्त रूप से पढ़ने से पता चलेगा कि दो वर्गों की भाषा सामग्री और सार में भिन्न है। 1999 अधिनियम की धारा 10 के तहत, उन मामलों में पत्र पेटेंट अपील को बाहर करने की मांग की गई थी जहां मूल से पत्र पेटेंट अपील के अलावा, संविधान के अनुच्छेद 226 या 227 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा कोई रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाता है। अपीलीय डिक्री या आदेश उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा सुना और तय किया गया। हालाँकि, 2002 अधिनियम की धारा 4 द्वारा अधिनियमित धारा 100ए संविधान के अनुच्छेद 226 या 227 के तहत जारी किसी भी रिट, निर्देश या आदेश को कवर नहीं करती है। दूसरे शब्दों में, उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा सुने गए और निर्णय किए गए मामले में किसी मूल, अपीलीय डिक्री या आदेश के संबंध में कोई पत्र पेटेंट अपील कायम नहीं थी, जबकि पत्र पेटेंट अपील एक रिट, निर्देश या आदेश के संबंध में थी संविधान के अनुच्छेद 226 या अनुच्छेद 227 के तहत किया गया मामला कायम रखने योग्य होगा। यह आगे बताया जा सकता है कि धारा 32(2)(जी) जो 1999 अधिनियम का एक निरसन और बचत खंड है, यह और स्पष्ट करता है कि संहिता की धारा 100ए को प्रतिस्थापित करने वाली धारा 10 को संभावित रूप से संचालित किया जाना था क्योंकि यह स्पष्ट किया गया था कि सभी लंबित हैं 1999 अधिनियम की धारा 10 के प्रारंभ होने से पहले स्वीकार की गई अपीलों का निपटान इस तरह किया जाना था जैसे कि धारा 10 लागू ही नहीं हुई हो। यह ध्यान रखना और दिलचस्प है कि धारा 32(2)(जी) को 2002 अधिनियम की धारा 15 द्वारा हटा दिया गया था, जिसका अर्थ यह होगा कि 1999 अधिनियम की धारा

10 को 2002 अधिनियम की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और इसलिए, इसे उप के साथ जोड़ा जाना चाहिए। -2002 अधिनियम की धारा 16 की धारा (2) जो एक गैर-अस्थिर खंड प्रदान करती है ताकि 1897 अधिनियम की धारा 6 के प्रावधानों को प्रभावी बनाया जा सके। 1897 अधिनियम की धारा 6 स्पष्ट रूप से प्रदान करती है कि यदि किसी अधिनियम को तब तक निरस्त किया जाता है जब तक कि कोई स्पष्ट इरादा प्रकट न हो, इस तरह के निरसन से निरस्त अधिनियम के तहत अर्जित, अर्जित या उपगत किसी भी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व या दायित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए, यह पेटेंट हो गया है कि 1 जुलाई, 2002 के बाद, किसी अपील में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और डिक्री के खिलाफ कोई भी पत्र पेटेंट अपील सक्षम नहीं होगी। किसी मूल या अपीलीय डिक्री या आदेश से उत्पन्न। यह प्रश्न सलेम के मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी जवाब दिया गया है एडवोकेट बार एसोसिएशन, तमिलनाडु बनाम भारत संघ (जेटी 2002 (9) एस.सी. 175), उपर्युक्त प्रश्न से निपटना, उनके प्रभुत्व के पास है बताया गया कि यदि कोई इंट्रा कोर्ट अपील प्रदान नहीं की जाती है तो किसी पक्ष को कोई पूर्वाग्रह नहीं झेलना पड़ेगा। इस संबंध में आपके आधिपत्य की टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं-

"धारा 100ए दो प्रकार के मामलों से संबंधित है जिनका निर्णय एकल न्यायाधीश द्वारा किया जाता है। एक वह जहां एकल न्यायाधीश किसी अपीलीय डिक्री या आदेश के खिलाफ अपील सुनता है। ऐसे मामले में कोई और अपील होने का सवाल ही नहीं है और होना भी नहीं चाहिए विचार किया गया। हालांकि, जहां ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की जाती है, तो यह सवाल उठ सकता है कि क्या किसी और अपील की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं। वर्तमान में भी मामले के मूल्य के आधार पर, अपील की जा सकती है मूल डिक्री की सुनवाई या तो एकल न्यायाधीश द्वारा या उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा की जाती है। जहां दायर की गई नियमित पहली अपील की सुनवाई खंडपीठ द्वारा की जाती है, वहां इंट्रा-कोर्ट अपील होने का सवाल ही नहीं उठता। यह केवल है ऐसे मामलों में जहां मूल्य पर्याप्त नहीं है, उच्च न्यायालय के नियम एकल न्यायाधीश द्वारा नियमित प्रथम अपील की सुनवाई के लिए प्रदान कर सकते हैं। ऐसे मामले में अपील का एक और अधिकार देने के लिए जहां शामिल राशि एक डिवीजन के लिए नाममात्र है बेंच वास्तव में अनावश्यक रूप से काम का बोझ बढ़ाएगी। हमें नहीं लगता कि इंट्रा-कोर्ट अपील का प्रावधान न करने से वादियों पर कोई पूर्वाग्रह पड़ेगा, भले ही इसमें शामिल मूल्य बड़ा हो। ऐसे मामले में, उच्च न्यायालय नियमों के अनुसार यह प्रावधान कर सकता है कि खंडपीठ नियमित प्रथम अपील की सुनवाई करेगी। इस प्रकार, धारा 100ए के संशोधित प्रावधान में कोई दोष नहीं पाया जा सकता है।"

(21) सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कानून की उपरोक्त व्याख्या के मद्देनजर, यह स्पष्ट हो जाता है कि 1 जुलाई, 2002 के बाद मूल या अपीलीय से उत्पन्न विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और डिक्री के खिलाफ लेटर्स पेटेंट बेंच में कोई अपील नहीं होगी। डिक्री या आदेश. इसलिए, पहले प्रश्न का उत्तर नकारात्मक में देना होगा। (22) फिर सवाल यह है कि अभिव्यक्ति को क्या अर्थ दिया जाना चाहिए, फैसले और डिक्री के खिलाफ कोई और अपील नहीं की जाएगी। क्या इन शब्दों का मतलब यह होगा कि किसी के खिलाफ कोई अपील नहीं होगी मूल, अपीलीय डिक्री या आदेश भविष्य में पड़ा रहेगा या यह दायर, लंबित और स्वीकार की गई अपीलों को भी प्रभावित

करेगा। आर. राजगोपाल रेड्डी के मामले (सुप्रा) में यह प्रश्न बेनामी लेनदेन से संबंधित 1988 अधिनियम के संबंध में उठा था। 1988 अधिनियम की धारा 4 ने बेनामी संपत्ति को पुनर्प्राप्त करने के अधिकार पर रोक लगा दी है और ऐसे किसी भी अधिकार को लागू करने के लिए कोई मुकदमा, दावा या कार्रवाई उस व्यक्ति के खिलाफ नहीं की जाएगी जिसके नाम पर संपत्ति है। उपरोक्त प्रावधानों की व्याख्या करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि 1988 अधिनियम इस अर्थ में पूर्वव्यापी नहीं है कि निर्दिष्ट तिथि से पहले किए गए सभी बेनामी लेनदेन को फिर से खोला जा सकता है और 1988 अधिनियम के प्रावधानों द्वारा शासित किया जा सकता है। उनके आधिपत्य के विचार इस प्रकार हैं:--

"इससे पहले कि हम इन छह विचारों से निपटें, जिन्होंने डिवीजन बेंच के साथ विचार किया कि धारा 4 पूर्वव्यापी रूप से इस अर्थ में लागू होगी कि इसे सभी लंबित कार्यवाही में दूरबीन मिल जाएगी, भले ही वे पहले दायर की गई हों, यदि वे अलग-अलग स्थानों पर लंबित थीं इस न्यायालय तक की कार्यवाही के पदानुक्रम में चरण, जब धारा 4 लागू हुई, तो अधिनियम की मुख्य विशेषता को दोहराना उचित होगा। जैसा कि पहले देखा गया है, अधिनियम की प्रस्तावना में ही कहा गया है कि यह एक कला है बेनामी लेन-देन और उससे जुड़े या उसके प्रासंगिक मामलों के लिए बेनामी रखी गई संपत्ति को पुनर्प्राप्त करने का अधिकार निषिद्ध है। इस प्रकार इसे अन्य बेनामी द्वारा रखी गई संपत्तियों के वास्तविक मालिकों के तत्कालीन मौजूदा अधिकारों को खत्म करने के लिए अधिनियमित किया गया था। इस तरह के अधिनियम को कोई पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं दिया गया था विधायिका द्वारा। यहां तक कि जब हम धारा 4 पर आते हैं, तो यह देखना आसान है कि धारा 4 की उपधारा (1) में कहा गया है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ बेनामी रखी गई किसी भी संपत्ति के संबंध में किसी भी अधिकार को लागू करने के लिए कोई मुकदमा, दावा या कार्रवाई नहीं की जाएगी। संपत्ति किसके नाम पर है या किसी अन्य के विरुद्ध है, ऐसी संपत्ति का वास्तविक मालिक होने का दावा करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से झूठ बोला जाएगा। धारा 4(1) के अनुसार अब से ऐसा कोई भी मुकदमा प्रतिवादी द्वारा बेनामी रखी गई संपत्ति का कब्जा वापस पाने के लिए नहीं होगा। वादी के इस आशय के अधिकार को छीनने की मांग की गई है और धारा 4(1) यानी 19 मई, 1988 के लागू होने के बाद ऐसे अधिकार को लागू करने के लिए कोई भी मुकदमा झूठ नहीं बोला जाएगा। विधायिका अपने विवेक से कहीं नहीं है 4(1) लागू इस तरह के पिछले बेनामी लेनदेन के संबंध में कोई मुकदमा नहीं चल सकता। उस सीमा तक धारा पूर्वव्यापी हो सकती है..." (जोर दिया गया)

(23) आर. राजगोपाल रेड्डी के मामले में (सुप्रा) सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने मिथिलेश कुमारी और एक अन्य बनाम प्रेम बिहारी खरे, (एआईआर 1989 एस.सी. 1247) के मामले में दो जजों के पहले के दृष्टिकोण पर पुनर्विचार किया। विचाराधीन प्रश्न यह था कि 'क्या 1988 अधिनियम के प्रावधान लंबित अपीलों पर लागू होंगे। मिथिलेश कुमारी के मामले (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट ने यह विचार किया है कि यदि 1988 अधिनियम लागू होने पर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कोई अपील लंबित थी तो अपील 1988 अधिनियम के प्रावधानों द्वारा शासित होगी। उस मामले में, वादी ने एक सिविल मुकदमा दायर किया था जिसमें इस आशय की घोषणा करने की प्रार्थना की गई थी कि वह सूट हाउस का एकमात्र और वास्तविक मालिक है और प्रतिवादी को सूट हाउस को स्थानांतरित करने

से स्थायी रूप से रोका जाए। मुकदमे का फैसला 18 मार्च, 1974 को सुनाया गया था, जिसमें वादी को मुकदमा घर का एकमात्र और वास्तविक मालिक घोषित किया गया था और डिक्री ने प्रतिवादी को मुकदमा घर को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित करने से स्थायी रूप से रोक दिया था। एक अपील को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने 23 अक्टूबर, 1974 को खारिज कर दिया और उच्च न्यायालय के समक्ष दूसरी अपील भी 27 मार्च, 1978 को खारिज कर दी गई। प्रतिवादी ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की। उनकी अपील के लंबित रहने के दौरान ही 1988 अधिनियम लागू हुआ। न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न उठा कि क्या 1988 के अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे ताकि वादी को किसी भी घोषणा की मांग करने से रोका जा सके। इन्हीं तथ्यों पर सुप्रीम कोर्ट ने यह विचार किया कि 1988 का अधिनियम लागू होगा और वादी का मुकदमा खारिज किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि 1988 अधिनियम प्रकृति में घोषणात्मक है और एक बार जब क़ानून घोषणात्मक हो जाता है तो पूर्वव्यापीता के खिलाफ अनुमान लागू नहीं होता है क्योंकि इस प्रकार का अधिनियम केवल मौजूदा अधिकारों की घोषणा करता है।

(24) उपरोक्त प्रस्ताव को आर. राजगोपाल रेड्डी के मामले (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था क्योंकि यह माना गया था कि 1988 अधिनियम ने धारा 8 में इस्तेमाल की गई अपनी स्पष्ट भाषा द्वारा संपत्तियों के संबंध में वास्तविक मालिक के अधिकारों को नष्ट कर दिया था। आयोजित बेनामी. इसलिए, इसे एक घोषणात्मक क़ानून नहीं माना जा सकता लेकिन मूलतः यह प्रकृति में निषेधात्मक है और मौजूदा को ख़त्म कर देता है अधिकार। क़ानून ने असली मालिक दोनों का अधिकार छीन लिया है। एक घोषणा की मांग करने और एक बेनामीदार द्वारा इस तरह का बचाव मुकदमा स्थापित करने के संबंध में। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, ऐसा अधिनियम जो बेनामी लूट-पाट पर रोक लगाता है और ऐसे लेन-देन से अधिकारों के प्रवाह को रोकता है, जो पहले जारी किया गया था, उसे घोषणात्मक प्रतिमा नहीं माना जा सकता है। श्री जी.पी. द्वारा सिद्धांत वैधानिक व्याख्या' 5वें संस्करण 1992 से निम्नलिखित टिप्पणियाँ। सिंह को 351 वर्ष की आयु में 'घोषणात्मक क़ानून' शीर्षक के तहत ईर लॉर्डशिप द्वारा अनुमोदित किया गया था-

"पूर्वव्यापी संचालन के खिलाफ धारणा घोषणात्मक क़ानूनों पर लागू नहीं होती है। जैसा कि CRAIES में कहा गया है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदित है: आधुनिक उद्देश्यों के लिए एक घोषणात्मक अधिनियम को सामान्य कानून, या अर्थ या प्रभाव के बारे में मौजूदा संदेह को दूर करने के लिए एक अधिनियम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। किसी भी प्रतिमा का। ऐसे अधिनियमों को आमतौर पर पूर्वव्यापी माना जाता है। एक घोषणात्मक अधिनियम पारित करने का सामान्य कारण यह है कि संसद जिसे न्यायिक त्रुटि मानती है उसे अलग कर दिया जाए, चाहे वह सामान्य कानून के बयान में हो या मूर्तियों की व्याख्या में। आमतौर पर , यदि अनिवार्य रूप से नहीं, तो ऐसे अधिनियम में एक प्रस्तावना, और 'घोषित' शब्द के साथ-साथ अधिनियमित शब्द भी शामिल होता है।" लेकिन 'यह घोषित है' शब्दों का उपयोग यह निर्णायक नहीं है कि अधिनियम घोषणात्मक है क्योंकि इन शब्दों का उपयोग कभी-कभी कानून के नए नियमों को पेश करने के लिए किया जा सकता है और बाद के मामले में अधिनियम आवश्यक रूप से पूर्वव्यापी नहीं होगा। इसलिए, अधिनियम की प्रकृति का निर्धारण

करते समय उसके स्वरूप की बजाय उसके सार पर ध्यान दिया जाना चाहिए। यदि किसी नए अधिनियम को पहले के अधिनियम की व्याख्या करनी है, तो इसका कोई उद्देश्य नहीं होगा जब तक कि इसे पूर्वव्यापी न समझा जाए। एक व्याख्यात्मक अधिनियम आम तौर पर एक स्पष्ट चूक प्रदान करने या पिछले अधिनियम के अर्थ के बारे में संदेह को दूर करने के लिए पारित किया जाता है। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि यदि कोई क़ानून उपचारात्मक है या पिछले कानून की केवल घोषणात्मक है तो आम तौर पर पूर्वव्यापी कार्रवाई का इरादा है। 'हमेशा इसका मतलब समझा जाएगा' भाषा घोषणात्मक है, और स्पष्ट शब्दों में पूर्वव्यापी है। यह इंगित करने वाले स्पष्ट शब्दों के अभाव में कि संशोधित अधिनियम घोषणात्मक है, इसका अर्थ तब नहीं लगाया जाएगा जब पूर्व-संशोधित प्रावधान स्पष्ट और स्पष्ट था। एक संशोधन अधिनियम मूल अधिनियम के एक प्रावधान के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए पूरी तरह से स्पष्ट हो सकता है जो पहले से ही अंतर्निहित था। इसका एक स्पष्टीकरण संशोधन प्रकृति का पूर्वव्यापी प्रभाव होगा और, इसलिए जब संविधान लागू हुआ तो मुख्य अधिनियम मौजूदा कानून था, संशोधन अधिनियम भी मौजूदा कानून का हिस्सा होगा। मिथिलेश कुमारी बनाम प्रेम बिहारी खरे में, बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 की धारा 4 में, इसे गलत तरीके से प्रकृति में घोषणात्मक अधिनियम माना गया है क्योंकि यह आम कानून के बारे में मौजूदा किसी भी संदेह को दूर करने के लिए पारित नहीं हुआ था। या किसी मूर्ति का अर्थ प्रभाव. हालाँकि, यह निष्कर्ष कि धारा 4 पिछले बेनामी लेनदेन पर भी लागू होती है, अनुभाग में प्रयुक्त भाषा पर समर्थित हो सकती है।"

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मूल और निहित अधिकारों को प्रभावित करने वाले कानून को पूर्वव्यापी रूप से लागू करने की फिर से एक मजबूत धारणा है, जब तक कि ऐसे कानूनों को प्रकृति में घोषणात्मक या प्रक्रियात्मक नहीं माना जाता है।

(25) इसी तरह का एक प्रश्न श्याम सुंदर और अन्य बनाम राम कुमार और अन्य ((2001)8 एस.सी.सी. 24) के मामले में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा गया था, उस मामले में पंजाब की धारा 15 (1995 के हरियाणा ए नंबर 10 द्वारा प्रतिस्थापित) हरियाणा पर लागू प्री-एम्प्शन एक्ट, 1913 (संक्षिप्तता के लिए, 191 एक्ट) विवाद का विषय था। बी हरियाणा अधिनियम संख्या 10, 1995। 1913 अधिनियम की धारा 15 को प्रतिस्थापित किया गया था। यह उल्लेख करना उचित है कि 1913 अधिनियम की धारा 15 को प्रतिस्थापित करने वाले संशोधन ने एक सह-हिस्सेदार के अधिकार को उसी तक सीमित रखते हुए बिक्री को पूर्व-एम्प करने के अधिकार को छीन लिया है। एक किरायेदार। संविधान पीठ के समक्ष यह तर्क दिया गया कि अपील धारा 15 में मुकदमे के संशोधन की निरंतरता है, जिसके तहत अपील के लंबित रहने के दौरान सह-हिस्सेदार का बिक्री को पहले से रद्द करने का अधिकार छीन लिया गया है, जिससे मामले की स्थिरता प्रभावित होगी। मुकदमा और सह-हिस्सेदारों के अधिकार। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि संशोधन अधिनियम पूर्वव्यापी प्रभाव में था ताकि मुकदमेबाजी में पार्टियों के अधिकारों को प्रभावित किया जा सके। गरिकपति वीरया के मामले (सुप्रा) में संविधान पीठ के फैसले पर भरोसा करते हुए: दया वती बनाम इंद्रजीत (एआईआर 1966 एस.सी. 1423), हितेंद्र विष्णु ठाकुर बनाम महाराष्ट्र राज्य

((1994)4 एस.सी.सी. 620) और के.एस. परिपूरन बनाम केरल राज्य, ((1994)5 एस.सी.सी. 593) संविधान पीठ के उनके आधिपत्य को निम्नानुसार रखा गया: -

"उपरोक्त निर्णयों से जो कानूनी स्थिति उभरकर सामने आती है वह यह है कि जब किसी अधिनियम को निरस्त किया जाता है नया कानून, ऐसा कानून मुकदमे की तारीख या मुकदमे के फैसले पर पार्टियों के मूल अधिकारों को प्रभावित नहीं करता है जब तक कि ऐसा कानून पूर्वव्यापी नहीं होता है और अपील की अदालत अस्तित्व में लाए गए नए कानून पर विचार नहीं कर सकती है जिस फैसले के खिलाफ अपील की गई है, वह दिया गया है क्योंकि अपील में पक्षों के अधिकार मुकदमे की तारीख पर लागू कानून के तहत निर्धारित होते हैं। हालाँकि, प्रक्रियात्मक कानून से संबंधित मामलों में कानून की स्थिति अलग होगी लेकिन जहां तक पार्टियों के मूल अधिकारों का सवाल है, वे अधिनियम में संशोधन से अप्रभावित रहेंगे। इसलिए, हमारा विचार है कि जहां किसी अधिनियम के प्रावधानों को निरस्त करने के बाद एक संशोधित अधिनियम द्वारा नया कानून बनाया जाता है, तो ऐसा कानून प्रभावी होता है और पार्टियों के मूल या निहित अधिकारों को प्रभावित नहीं करता है जब तक कि इसे स्पष्ट रूप से या पूर्वव्यापी न बनाया जाए। आवश्यक इरादे से. हमारा विचार यह है कि किसी क़ानून के पूर्वव्यापी संचालन के ख़िलाफ़ एक धारणा है और इसके अलावा किसी क़ानून को उसकी भाषा में आवश्यक समझे जाने की तुलना में अधिक पूर्वव्यापी संचालन के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, लेकिन एक संशोधित अधिनियम जो प्रक्रिया को प्रभावित करता है, उसे माना जाता है। पूर्वव्यापी हो, जब तक कि संशोधित अधिनियम अन्यथा प्रदान न करे। हमने संशोधन अधिनियम, 1995 द्वारा मूल अधिनियम में लाई गई नई प्रतिस्थापित धारा 15 को ध्यान से देखा है, लेकिन इसे स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा पूर्वव्यापी प्रभाव में नहीं पाया है, जो न्यायनिर्णयन की तारीख पर पार्टियों के अधिकारों को प्रभावित कर सकता है। मुकदमा और उस पर अपीलीय अदालत द्वारा विचार किया जाना आवश्यक है। शांति देवी बनाम हुकुम चंद [(1996)5 एससीसी 768] में इस न्यायालय के पास प्रतिस्थापित धारा 15 की व्याख्या करने का अवसर था, जिससे हम चिंतित हैं और माना कि धारा 15 को पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि इसे संभावित रूप से पेश किया गया है। और ऐसी धारा का किसी भी तरीके से दूसरी अपील में उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किए गए प्री-एम्प्शन के मुकदमे में पारित निर्णय और डिक्री को प्रभावित करने का कोई सवाल ही नहीं है। हम आदरपूर्वक एसए निर्णय में व्यक्त विचार से सहमत हैं और यह मानते हैं कि प्रतिस्थापित धारा 15 में यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि यह पूर्वव्यापी है, पार्टियों के अधिकारों को प्रभावित नहीं करता है जो उन्हें मुकदमे की तारीख पर या उस दिन प्राप्त हुए थे। प्रथम दृष्टया न्यायालय द्वारा डिक्री पारित होने की तिथि। हमारा विचार है कि वर्तमान अपीलें कानून में अप्रभावित परिवर्तन हैं, जहां तक यह पार्टियों के वास्तविक अधिकारों के निर्धारण से संबंधित है और इसे भुगतान के कानून के आलोक में तय करने की आवश्यकता है क्योंकि यह उस तारीख को मौजूद था। टी डिक्री पारित होने का।"

(26) श्याम सुंदर के मामले (सुप्रा) के साथ-साथ आर. राजगोपाल रेड मामले (सुप्रा) में संविधान बेन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों से, यह स्पष्ट है कि मूल को प्रभावित करने वाले क़ानून के पूर्वव्यापी संचालन के बारे में फिर से एक मजबूत धारणा है। निहित अधिकार, जब तक कि यह स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किया गया हो या आवश्यक इरादे

से अनुमानित न किया गया हो। ऐसा दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है क्योंकि कानून इस व्याख्या की ओर झुका हुआ है कि पूर्वव्यापी कार्रवाई द्वारा कोई कानून मूल और निहित अधिकारों को छीन सकता है।

(27) वर्तमान मामले में, विचार के लिए जो प्रश्न उठता है वह यह है कि क्या प्रतिस्थापित धारा 100ए को इस तरह से समझा जाना चाहिए कि जो पत्र पेटेंट अपील लंबित हैं, वे कायम रखने योग्य नहीं हैं। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि अपील का अधिकार एक वास्तविक अधिकार है और पूर्वव्यापीता की धारणा को फिर से बढ़ाने पर रोक है कि मूल अधिकारों को कानून के पूर्वव्यापी प्रभाव से छीनने का इरादा है। 1999 अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित धारा 100ए के अवलोकन से यह पता चलेगा कि संविधान के अनुच्छेद 226 या 227 के तहत कोई रिट, आदेश या निर्देश जारी होने पर मूल या अपीलीय डिक्री या एकल न्यायाधीश के आदेश से कोई पेटेंट अपील नहीं होनी चाहिए। धारा 32 की उप-धारा (2) के खंड (जी) ने उन पेटेंट अपीलों की रक्षा की जो पहले ही स्वीकार कर ली गई थीं और निर्णय के लिए लंबित थीं। ऐसी लेट पेटेंट अपीलों का निर्णय इस तरह किया जाना था मानो 1999 अधिनियम की धारा 100ए अधिनियमित ही न हुई हो। दूसरे शब्दों में, 1999 में विधायिका ने अपनी बुद्धिमत्ता से दोनों प्रकार के लंबित पत्र पेटेंट अपीलों को बचाने को प्राथमिकता दी, जिन्हें 1999 अधिनियम के लागू होने से पहले स्वीकार किया गया था। 1999 अधिनियम की धारा 100ए ने धारा 100ए का प्रतिस्थापन कभी नहीं किया था अधिकार पाना।

(28) 2002 अधिनियम की धारा 4 के अवलोकन से पता चलता है कि 1999 अधिनियम की धारा 10 द्वारा प्रतिस्थापित धारा 100ए का खंड (बी) किसी विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा जारी या किए गए रिट, आदेश या निर्देश से अपील के उपाय पर रोक लगाता है। संविधान के अनुच्छेद 226 या 227 के तहत एक आवेदन छोड़ दिया गया था। 2002 अधिनियम की धारा 4 द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 226 या 227 के तहत उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा जारी किसी भी रिट, आदेश या निर्देश को लेटर्स पेटेंट बेंच के समक्ष चुनौती दी जा सकती है और ऐसी अपील सक्षम होगी। . धारा 15 द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि 1999 अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (2) का खंड (जी) हटा दिया जाएगा। इसलिए, विधायिका की मंशा बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि किसी विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित मूल या अपीलीय डिक्री या आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती है। 1999 अधिनियम और 2002 अधिनियम से यह और भी स्पष्ट है कि विधायिका का 2002 अधिनियम की प्रतिस्थापित धारा 100ए को पूर्वव्यापी रूप से लागू करने का इरादा नहीं था। 1999 अधिनियम की धारा 32 की उप-धारा (2) के खंड (जी) से विधायी इरादे का अनुमान लगाना बिल्कुल गलत है कि केवल उन अपीलों को संरक्षित करने का इरादा था जो एक याचिका पर विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के खिलाफ निर्देशित की गई थीं। संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत इस आधार पर दायर किया गया कि किसी मूल या अपीलीय डिक्री या आदेश की अपील में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित फैसले और डिक्री से उत्पन्न होने वाली अपीलों को ऐसी कोई सुरक्षा नहीं दी गई थी। इस तरह के विधायी इरादे का संभवतः अनुमान लगाया जा सकता था यदि 1999 अधिनियम की धारा 32 की उप-धारा (2) का खंड (जी) लागू रहता और उसे जीवित रखा जाता। हालाँकि, उपरोक्त प्रावधानों को 2002 अधिनियम की धारा 15 के खंड (बी) के उप-खंड (i) द्वारा हटा दिया गया है। 1999 अधिनियम और 2002 अधिनियम दोनों एक ही तारीख यानी 6 जून, 2002 की

अधिसूचना द्वारा अधिनियमित किए गए हैं और 1.4.2002 से लागू किए गए हैं। 1 जुलाई, 2002. विधायिका ने उन धाराओं को हटाकर अपना इरादा स्पष्ट कर दिया है। इसलिए, जैसा कि श्री सरीन ने पढ़ने की मांग की है, व्यक्त इरादे के मद्देनजर आवश्यक इरादे को अंतर्निहित नहीं माना जा सकता है। इसलिए, हमें उस तर्क को खारिज करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। इसलिए, श्री सरीन द्वारा भरोसा किए गए गरिकपति वीरया के मामले (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वर्तमान मामले के तथ्यों पर आकर्षित नहीं किया जाएगा क्योंकि उसमें दिए गए सिद्धांतों को केवल तभी लागू किया जा सकता था, यदि विधायिका आवश्यक इरादे से या एक्सप्रेस प्रावधानों द्वारा धारा 100ए 2002 अधिनियम पूर्वव्यापी। उस मामले में, एक संविधान पीठ ने सुप्रीम कोर्ट, प्रिवी काउंसिल और विभिन्न उच्च न्यायालयों के पहले के कई फैसलों का जिक्र करने के बाद निम्नलिखित पांच प्रस्ताव तैयार किए हैं:-

"(i) किसी उपचार की कानूनी खोज, वाद अपील और दूसरी अपील वास्तव में कार्यवाहियों की एक श्रृंखला के चरण हैं जो सभी एक आंतरिक एकता से जुड़े हुए हैं और इन्हें एक कानूनी कार्यवाही के रूप में माना जाना चाहिए।

(ii) अपील का अधिकार केवल प्रक्रिया का विषय नहीं है बल्कि एक मौलिक अधिकार है।

(iii) मुकदमे की स्थापना का निहितार्थ यह है कि उस समय लागू अपील के सभी अधिकार मुकदमे की शेष अवधि तक संबंधित पक्षों के लिए संरक्षित रहते हैं।

(iv) अपील का अधिकार एक निहित अधिकार है और उच्च न्यायालय में प्रवेश करने का ऐसा अधिकार वादी को प्राप्त होता है और मुकदमा शुरू होने की तारीख से ही अस्तित्व में रहता है और हालांकि इसका प्रयोग वास्तव में तब किया जा सकता है जब प्रतिकूल निर्णय सुनाया जाता है। मुकदमे या कार्यवाही की शुरुआत की तारीख पर प्रचलित कानून द्वारा शासित होना चाहिए, न कि उस कानून द्वारा जो इसके निर्णय की तारीख या अपील दायर करने की तारीख पर लागू होता है।

(v) अपील के इस निहित अधिकार को बाद के अधिनियम द्वारा ही छीना जा सकता है, यदि यह स्पष्ट रूप से या आवश्यक इरादे से ऐसा प्रदान करता है, अन्यथा नहीं।"

(29) कानून का पांचवां प्रस्ताव जिस पर श्री सरीन ने भरोसा जताया है, उसे वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हमारी राय में, पूर्वव्यापी अपील के निहित अधिकार को छीनने का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। न ही इसे आवश्यक आशय से पढ़ा जा सका। इसके विपरीत, 2002 अधिनियम के बाद के अधिनियमन द्वारा, विधायिका ने 1999 अधिनियम की धारा 32 की उप-धारा (2) के खंड (जी) को स्पष्ट रूप से निरस्त कर दिया है।

(30) हमारा यह भी मानना है कि 1897 अधिनियम की धारा 6 को 2002 अधिनियम की धारा 16 द्वारा लागू किया गया है जो एक निरसन और बचत खंड है। 1897 अधिनियम की धारा 6 के खंड (सी) का अवलोकन होगा दिखाएँ कि पहले के अधिनियम को निरस्त करने से इस प्रकार निरस्त किए गए अधिनियम के तहत अर्जित किसी भी

अधिकार या दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह उल्लेख करना और भी प्रासंगिक है कि धारा 16 इस अभिव्यक्ति के साथ शुरू होती है कि इस अधिनियम के प्रावधान लागू हो गए हैं और पहले वाला अधिनियम निरस्त कर दिया गया है, यह एक गैर-अस्थिर खंड है जिसका अर्थ यह होगा कि निरस्त होने के बावजूद, पहले के तहत प्राप्त अधिकार अपील के अधिकार सहित अधिनियम को बचाया जाएगा। दूसरे शब्दों में, पार्टियों के निहित अधिकार जो असंशोधित प्रावधानों के तहत अर्जित हुए हैं, वे उन्हें उपलब्ध रहेंगे। 1897 अधिनियम की धारा 6(सी) सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णयों में विवाद का विषय रही है। अंबाला साराभाई एंटरप्राइजेज लिमिटेड बनाम अमृत लाल एंड कंपनी और अन्य (सुप्रा) के मामले में। सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन प्रश्न यह था कि क्या दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1958 में संशोधन किया गया है, जिससे यह अधिनियम उन किरायेदारों पर लागू नहीं होगा जहां मासिक किराया रुपये से अधिक है। 3,500 लंबित मामलों पर लागू था।" 1897 अधिनियम की धारा 6 (सी) पर भरोसा करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय के उनके आधिपत्य ने निम्नानुसार देखा: -

"धारा 6 के प्रारंभिक शब्द उस क्षेत्र को निर्दिष्ट करते हैं जिस पर यह क्रियाशील है। यह सामान्य धारा अधिनियम, केंद्रीय अधिनियम या सामान्य धारा अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद बनाए गए विनियमों के तहत सभी अधिनियमों पर क्रियाशील है। यह निरसन के मामले में भी स्पष्ट करता है उपरोक्त अधिनियम या विनियमन के तहत किसी भी प्रावधान का, जब तक कि इस तरह के निरसन से कोई अलग इरादा प्रकट न हो, इसका इसके खंडों अर्थात (ए) से (ई) में शामिल मामलों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करता है कि निरसन पुनर्जीवित नहीं होगा कोई भी चीज़ जो लागू नहीं है या अस्तित्व में नहीं है या इस प्रकार निरस्त किए गए किसी अधिनियम के पिछले संचालन को प्रभावित करती है या विधिवत किया या भुगता गया कोई भी कार्य या निरस्त क़ानून के तहत अर्जित, उपार्जित या खर्च किए गए किसी भी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व या दायित्व को प्रभावित करता है, किसी दंड, जब्ती या सजा को प्रभावित करता है। निरस्त क़ानून के तहत किए गए किसी भी अपराध के संबंध में किया गया और ऐसे किसी भी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, दायित्व, दंड, जब्ती या के संबंध में किसी भी जांच, कानूनी कार्यवाही या उपाय को प्रभावित नहीं करता है। उपरोक्तानुसार सज़ा. इस प्रकार केंद्रीय विषय जो स्पष्ट करता है वह यह है कि लंबित किसी भी जांच या कानूनी कार्यवाही को जारी रखा जा सकता है और लागू किया जा सकता है जैसे कि निरसन अधिनियम या विनियमन लागू नहीं हुआ था।

एक सामान्य नियम के रूप में, धारा 6 के मद्देनजर, किसी क़ानून का निरसन जो पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू नहीं होता है, प्रथम दृष्टया लंबित कार्यवाही को प्रभावित नहीं करता है जिसे जारी रखा जा सकता है जैसे कि निरस्त अधिनियम अभी भी लागू था। दूसरे शब्दों में, इस तरह के निरसन से लंबित मामलों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जो कि समाप्त होते रहेंगे क्योंकि अधिनियम निरस्त नहीं किया गया है। वास्तव में जब कोई मामला शुरू होता है तो पार्टियों के सभी अधिकार और दायित्व उस तिथि पर स्पष्ट हो जाते हैं। सामान्य धारा अधिनियम की धारा 6 का अधिदेश केवल उन लंबित कार्यवाहियों को अप्रभावित छोड़ना है जो असंबद्ध प्रावधानों के तहत शुरू हुई थीं जब तक कि विपरीत इरादा व्यक्त न किया गया हो। हमें धारा 6 का खंड (सी) मिलता है, जिसमें निरस्त क़ानून के तहत "कोई भी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व .. अर्जित या उपार्जित" शब्द संदर्भित हैं, जो निरस्त क़ानून से

प्रभावित नहीं होंगे। हम यहां यह स्पष्ट करने में जल्दबाजी कर सकते हैं कि निरसन की तारीख पर "अर्जित" या "अर्जित" न होने वाले अधिकार के अस्तित्व मात्र से सामान्य खंड अधिनियम की धारा 6 का संरक्षण नहीं मिलेगा।"

(31) इसी तरह का दृष्टिकोण इस न्यायालय ने दर्शन कुमार और अन्य बनाम रघुनंदन शर्मा (1978 पीएलजे 166) के मामले में लिया है। सीआईटी बनाम शाह सादिक एंड संस ((1987)3 एस.सी.सी. 516) के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दूसरा।

(32) श्री आर.एस. का तर्क. मित्तल ने कहा कि अपील के अधिकार को मुकदमा दायर करने की तारीख पर स्पष्ट कर दिया गया है, इसलिए किसी भी गंभीर विचार की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि केवल अर्जित या निहित अधिकारों को सुरक्षा दी गई है और इसे पूर्वव्यापी प्रभाव से छीना नहीं जा सकता है। अर्जित या निहित अधिकार वह होगा जो अर्जित किया गया हो और उसका आनंद लिया गया हो और इसमें वह अधिकार शामिल नहीं होगा जो किसी भविष्य की तारीख में अर्जित होना बाकी है। इस संबंध में सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित मामलों का संदर्भ दिया जा सकता है। यह काफी अच्छी तरह से स्थापित है कि ऐसे मामलों में जहां किसी व्यक्ति ने पहले ही पदोन्नति अर्जित कर ली है, उसे वैधानिक नियमों के बाद के संशोधन द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से नहीं हटाया जा सकता है क्योंकि यह अधिकार प्राप्त हो जाता है। एक संविधान पीठ सुप्रीम कोर्ट ने एस.एस. बोला और अन्य बनाम बी.डी. सरदाना और अन्य ((1997)8 एस.सी.सी. 522), ने हरियाणा इंजीनियर्स सेवा (सिंचाई, सार्वजनिक स्वास्थ्य, भवन और सड़क शाखा) अधिनियम, 1991 के प्रावधानों पर विचार करते हुए माना कि प्राप्त अधिकार निहित अधिकार हैं और जिन्हें पहले से ही असंशोधित नियमों के तहत पदोन्नत किया गया है। संशोधन के आधार पर पदोन्नति से वंचित या वापस नहीं किया जा सकता। इसी तरह का दृष्टिकोण सुप्रीम कोर्ट ने ए.एस. में लिया था। परमार बनाम हरियाणा राज्य (एआईआर 1986 एस.सी. 1183) टी.आर. कपूर बनाम हरियाणा राज्य, (एआईआर 1987 एस.सी. 415) और चेयरमैन, रेलवे बोर्ड बनाम सी.आर. राणागधमिया ((1997)6 एस.सी.सी., 623) के मामले में एक संविधान पीठ, यह इंगित करना अधिक उपयोगी है कि निरसन की तारीख पर अपील करने के अधिकार का अस्तित्व मात्र है। क़ानून को निहित अधिकार या अर्जित अधिकार नहीं माना जा सकता। एक उपलब्ध अधिकार तभी निहित अधिकार बन जाएगा जब इसका प्रयोग किया जाएगा अन्यथा यह भ्रूण संबंधी अधिकार बना रहेगा। इसलिए, 1 जुलाई, 2002 से पहले ही दायर की गई पत्र पेटेंट अपीलें ही एकमात्र अपील हैं जिन्हें संरक्षित करने का इरादा है। 1 जुलाई, 2002 को या उसके बाद दायर की जाने वाली पत्र पेटेंट अपीलें सुनवाई योग्य नहीं होंगी क्योंकि 2002 अधिनियम की धारा 100 ए द्वारा बनाई गई रोक चालू हो जाएगी। दूसरे शब्दों में। 2002 अधिनियम की धारा 100ए उस अपीलकर्ता में निहित अपील के अर्जित अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी, जिसने वास्तव में 1 जुलाई, 2002 से पहले अपील दायर की है, लेकिन जिन लोगों ने 1 जुलाई, 2002 को या उसके बाद अपील दायर की है, वे इसे बनाए रखने के हकदार नहीं होंगे। वही।

(33) उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, प्रश्न संख्या 1 का हमारा उत्तर नकारात्मक है और यह माना जाता है कि मूल, अपीलीय डिक्री या एक आदेश से उत्पन्न होने वाले विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और डिक्री के खिलाफ कोई पेटेंट अपील नहीं होगी।दूसरे प्रश्न का हमारा उत्तर यह है कि 1 जुलाई, 2002 से पहले दायर की गई

पत्र पेटेंट अपीलों को 2002 अधिनियम की धारा 100 ए के प्रावधानों को लागू करके निपटाया और तय नहीं किया जाएगा।

(34) दो महत्वपूर्ण प्रश्नों पर संदर्भ का उत्तर देने के बाद, मामले को योग्यता के आधार पर निर्णय लेने के लिए लेटर्स पेटेंट बेंच के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा क्योंकि तत्काल लेटर्स पेटेंट अपील को बनाए रखने योग्य माना गया है।

*****

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है, ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

मीनू वर्मा,
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी, हरियाणा